

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना - 800001
(पंजीयन सं. - 633/2003)

Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,

* सुशील कुमार

मो. - 9431091417, 7004466338

Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,

* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी

मो. - 9771048046,

Email: siddiquikhursheed1@gmail.com



उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान

* कमलेश सिंह

संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा

* कुमार रविन्द्र

कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु

संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 20

दिनांक 12/11/18

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार।

विषय :-

सरकार द्वारा वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लिए धान/चावल की अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया, निर्गत किये गये दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर राज्य स्तर से दिये गये निदेशों के अनुरूप कार्य करने के बावजूद बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा अत्यधिक कार्यभार एवं समय के दबाव के कारण हुई लिपिकीय/प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ जैसी प्रशासनिक चूक को आपराधिक दोष बनाकर, मिलरों द्वारा चावल की आपूर्ति में की गई गड़बड़ियों की जाँच हेतु गठित SIT द्वारा प्राथमिकी/अप्राथमिकी अभियुक्त बनाकर प्रताड़ित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (BSFC), पटना का पत्रांक-9159, दिनांक-04.12.2011, पत्रांक-9404, दिनांक-08.12.2012 एवं पत्रांक-7714, दिनांक-06.12.2013


महाशय,


उपरोक्त विषय के संबंध में पूर्व में बि0प्र0सेवा संघ के पत्रांक-49, दिनांक-01.11.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा धान अधिप्राप्ति मामले का तथ्य से तत्कालीन मुख्य सचिव को अवगत कराया गया था (पूर्व के मुख्य सचिव महोदय को दिए पत्र की छायाप्रति संलग्न)। उन्होंने आश्वासन दिया था कि प्रखण्ड प्रभारी एवं नोडल पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सीधे तौर पर जिस पदाधिकारी की सहभागिता होगी उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी। मिलरों द्वारा धान की प्राप्ति की गई है। जिसे उनके द्वारा स्वीकार भी किया गया है। जिसके बदले उन्हें अनुपातिक चावल देना था जो नहीं दिया गया। भवदीय अवगत है कि चावल की राशि की वसूली

मिलर से होना है न कि प्राशासनिक पदाधिकारी से। ऐसी परिस्थिति में प्रशासनिक पदाधिकारी पर अपराधिक मामला दर्ज कर प्रताड़ित किया जा रहा है।

संघ का अनुरोध है कि उपरोक्त गंभीर मामले पर व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर संघ के सदस्यों को न्याय दिलाने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।


13/11/18
(खुशीद अनवर सिद्धीकी)
महासचिव


13/11/18
(सुशील कुमार)
अध्यक्ष